

पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2, सी विंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of Regional Controller of Mines
Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, C Wing, Sec 10A
Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या: KUTCH/BXT-005

Mine code 07GUJ10013 ID

दिनांक:

सेवा में : महाप्रबंधक

वान्ध -2 बाकसाइट खान

जी एम डी सी,

तालुका - मांडवी, जिला - कच्छ , गुजरात

e mail - gadhsisa_2@gmdcltd.in,

विषय: गुजरात राज्य के कच्छ जिले की मांडवी तालुका में स्थित आपकी वान्ध -2 बाकसाइट खान, क्षेत्रफल- 8.09 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन। महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का स्टार रेटिंग/एम.सी.डी.आर निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 03.12.2023 को श्री एस जे मटारिया, एन आर संखत खान अभियंता एवं अन्य की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

नियम सं.	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	इस कार्यालय के पत्र संख्या 684(4)(1)/MP-342/2021-22/GNR/1393 दिनांक 18.08.2021 के द्वारा अनुमोदित रिट्यू खनन योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा है- 1) Plantation of 100 saplings over an area of 0.1 Ha with 22m bio fencing was proposed for the year 2022-23. However it was observed that no plantation activity was carried out during the mentioned period.

- इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

I/22339/2023

2. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालन नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।
3. अतघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके उल्लंघन आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त : सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से दिनों के भीतर (पैंतालिस) 45 इस कार्यालय को प्रेषित करें।
4. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(मोहम्मद निमर)

उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि (मूल पर नहीं) -

१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, पुराना सचिवालय, ब्लॉक न.- 15, डा जीवराज मेहता भवन, सैक्टर- 10, गांधीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
३. रक्षित पत्रावली।

उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो